

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./बो-1/2017-18 दिनांक 29.11.2019 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों की राज्य एवं राज्य से बाहर की संस्थाओं से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच उपरान्त शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पद पर काउंसिलिंग दिनांक 07.12.2019 को प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर 23700/- रुपये देय नियत मानदेय (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-III/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये, महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसके आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरीक्षति पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौति नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12 (9) एफ.डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12 (9) एफ.डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेशन से नवीन अंशदायी पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

Handwritten signature

13. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति एतद् विषयक प्रसारित विज्ञापित कें सदर्थ में माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए की गई हैं।
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लें।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण – जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचन बद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
17. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्याधीन होगी।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 22-02-2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना शीघ्र अपडेट करें।

संलग्न :- सूची

(राकेश कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, अलवर

क्रमांक :- जिशिअ/मामु/अल/संस्था-1/फा-शा.प्र.अनु.ग्रेड-111/2018/2019/143-145 दिनांक :- 07.02.2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला अलवर।
6. संबंधित पीईईओ/संस्थाप्रधान।
7. संबंधित कार्मिक।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अलवर

क्रमांक :- जि.शिक्षा/मानु/अल/संस्था-1/फा-सा.प्र.अनु.प्रेड-111/2018/2019/143-145 दिनांक :- 07.02.2020

SNO	Merit No.	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL-CAT	आवृत्त विद्यालय का नाम	ब्लॉक	अभ्यर्थी का फोटो
1	8872	514011	PRATEEK	CHANDU LAL	17-Nov-89	Female	SC		SC	GOVT. SECONDARY SCHOOL MANDHA MAJRA (215108), TIZARA (08060616401) (TIZARA)	TIZARA	
2	1468	510567	SHARDA KUMARI	SATAY PAL	04-Mar-88	Female	GEN		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAYSA (216205), NEEMRANA (08060200601) (BEHROR)	NEEMRANA	
3	1221	511791	GURMUKH SINGH	LABH SINGH	30-Dec-91	Male	OBC		GEN	GOVT. UPS RAYPUR(08060311403)	MUNDAWAR	
4	1392	504334	DHARM PAL NAI	INDRAJ SINGH NAI	12-Dec-75	Male	OBC		OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PATALIYA, BLOCK KOTKASIM, ALWAR, KOTKASIM (08060509601) (KISHANGARH)	KOTKASIM	
5	1472	502515	PREM KUMAR	SUBE SINGH	08-May-89	Male	OBC		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JALALPUR, BLOCK-TIJARA,ALWAR, TIZARA (08060614302) (TIJARA)	TIZARA	
6	2627	520557	SUKH RAM GURJAR	CHIRANJEE LAL GURJAR	20-Apr-86	Male	MBC		MBC	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHOHRA PIPLI (496282)(08060409901)	KISHANGARH BAS	
7	4892	503299	NANAK CHAND	RAM KISHAN	11-Aug-85	Male	SC		SC	GOVT. UPS RUPBAS(08060709101)	RAMGARH	
8	5589	512257	RAJENDRA PRASAD	SHYCHAN D	14-Aug-88	Male	SC		SC	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL UPS NIWALI (494354)(08060702601)	RAMGARH	
9	1410	504828	SUNIL KUMAR	DALBIR SINGH	25-Oct-90	Male	GEN		GEN	GOVT. UPS GIRWAS(08060510901)	KOTKASIM	
10	1129	511339	VUAY SINGH	ISHWAR SINGH	10-Dec-82	Male	OBC		GEN	GOVT. SECONDARY SCHOOL AHEER BASNA (227379), KOTKASIM (08060507901) (KISHANGARH BAS)	KOTKASIM	

MxM
(राकेश कुमार शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 29.11.2019 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों की राज्य एवं राज्य से बाहर की संस्थाओं से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच उपरान्त शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पद पर काउंसिलिंग दिनांक 07.12.2019 को अनुपस्थित होने के कारण बाद काउंसिलिंग शेष रही रिक्तियों में से उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर 23700/- रुपये देय नियत मानदेय (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

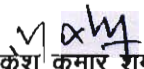
1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करवावे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये, महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसके आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरीक्षति पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौति नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12 (9) एफ.डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

Wxy

12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12 (9) एफ.डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेशन से नवीन अंशदायी पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।
13. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति एतद् विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए की गई हैं।
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लें।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण – जाली अथवा कूटचिंत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचन बद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
17. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्याधीन होगी।

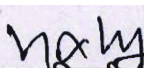
इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक **22-02-2020** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना शीघ्र अपडेट करें।

संलग्न :- सूची


 (राकेश कुमार शर्मा)
 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
 माध्यमिक शिक्षा, अलवर

क्रमांक :- जिशिअ/मामु/अल/संस्था-1/फा-शा.प्र.अनु.ग्रेड-111/2018/2019/146-148 दिनांक :- 07.02.2020
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला अलवर।
6. संबंधित पीईईओ/संस्थाप्रधान।
7. संबंधित कार्मिक।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।


 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
 माध्यमिक शिक्षा, अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अलवर

क्रमांक :- जिशिअ/मामु/अल/संस्था-1/फा-शा.प्र.अनु.ग्रेड-111/2018/2019/146-148 दिनांक :- 07.02.2020

SNO	Merit No.	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL- CAT	आवृत्त विद्यालय का नाम	ब्लॉक	अभ्यर्थी का फोटो
1	3751	517771	RAMKESH MEENA	SHAMBHU DAYAL MEENA	16-Dec-92	Male	ST		ST	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NIMLI (498819)(08060619801)	TIJARA	

nam
(राकेश कुमार शर्मा)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, अलवर